



2026:AHC:126331

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 16703 वर्ष 2026

जाहिर सिंह राजपूत

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण कान्त उपाध्याय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कान्त उपाध्याय, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या 700 वर्ष 2017, धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना-कोतवाली महोबा, जनपद-महोबा में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में आवेदक को मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उक्त कंपनी में केवल एक अभिकर्ता के रूप में कार्यरत था तथा उसके किसी भी बैंक खाते में एक भी रुपये की धनराशि जमा नहीं हुई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कंपनी के निदेशकगण, अर्थात् सुनील सिंह एवं विजय कुमार शुक्ला को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की स्वयं की धनराशि भी उक्त कंपनी में निवेशित थी तथा वह भी अन्य निवेशकों की भाँति ठगी का शिकार हुआ है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कंपनी निवेशकों को उनकी धनराशि लौटाने में असमर्थ रही, जिसके फलस्वरूप कंपनी के परिसमापन की कार्यवाही प्रचलित है तथा उसके लिए आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 07.04.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के आपराधिक इतिहास का भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया तथा बताया कि उसके विरुद्ध दर्शाए गए चार आपराधिक मामलों में से दो मामलों में उसे सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा कारित किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तथा वर्तमान प्रकरण में आवेदक की कथित भूमिका का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय इस मत पर पहुँचा है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक **जाहिर सिंह राजपूत** को 1,00,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध का, जिसके संबंध में वह वर्तमान में अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है, पुनः स्वयं कारित नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी अपराध के किए जाने में किसी प्रकार की सहभागिता करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा अभियोजन साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो विचारण न्यायालय इस कृत्य को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के अभाव में अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसकी समतुल्य धारा भारतीय न्याय संहिता में धारा 269 है) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसकी समतुल्य धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 84 है) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसकी समतुल्य धारा भारतीय न्याय संहिता में धारा 209 है) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा :- (1) वाद के आरंभ के समय, (2) आरोप गठन के समय, (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसकी समतुल्य धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 351 है) के अंतर्गत उसका कथन अभिलिखित किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त किसी भी तिथि पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के अभाव में होती है, तो विचारण न्यायालय ऐसे आचरण को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित न्यायालय आवेदक को प्रदान की गई जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

9 जून, 2026

शुभम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।